उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–128/2019
GCMS NO:- 2019/00477
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 24.09.2019

1. नन्द सिंह आ0 कजोड़सिंह जाति राजपूत निवासी बाछोला तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री सीताराम नागर एड़वोकेट

निर्णय दिनांक 14.02.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि यह कि वादी के दिनांक 26.05.1992 को वाके ग्राम बाछोला में भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा गठित आवंटन कमेठी द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया से वादी के नाम आवंटित हुआ था। यह कि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 08.09.1993 को मौके पर जाकर गवाहों के समक्ष कब्जा संभलाया था तब से वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। यह कि आवंटन भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा की चतुर्थसीमा निम्न प्रकार हैः– पूर्व में– खानसिंह का खेत, पश्चिम में– मोहन धाकड का खेत, उत्तर में – सीताराम मीणा का खेत, दक्षिण में– मोहन खाती का खेत स्थित है। यह कि वादी ने भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा पर 10 वर्षो तक गैर खातेदारी व 10 वर्ष बाद खातेदार ही हैसियत से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर चुका है। यह कि वादी को खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। यह कि वादी ने उक्त भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने के लिए आपके पास कई मर्तबा लिखित व मौखिक निवेदन कर दिये पर आपने उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज नही की न ही ऐसा प्रयास किया एवं वाद पेश करने की सलाह दी गई। यह कि वादी ने दिनांक 01.07.2019 को खातेदार कृषक घोषित करने के लिए प्रतिवादीगण को नोटिस अपने जर्ये अभिभाषक भिजवाया जो प्रतिवादीगण को दिनांक 02.07.2019, दिनांक 03.07.2019 को मिलने के पश्चात भी 2 माह की अवधि निकलने के बाद भी वादी को खातेदार दर्ज नही किया गया। इस कारण वाद पत्र पेश है। यह कि ग्राम बाछोला में स्थित भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज चतुर्थसीमा के अनुसार वादी को सिवायचक से खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर, जमाबंदी, भू राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे। तदनुसार नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल आवंटन आदेश, नकल दखल नामा, रजिस्टर्ड नोटिस, लगान रसीदें आदि पेश की।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में तहसीलदार नैंनवां का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपने जवाब मे तहसीलदार नैंनवां ने रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार मौका निरीक्षण [illegible] खसरा संख्या 850 रकबा 15–10 बीघा किस्म बंजड पर लगभग 5–00 बीघा भूमि पर [illegible] सिंह [illegible] कजोड सिंह जाति राजपूत निवासी बाछोला ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त खसरा संख्या [illegible] समय अतिक्रमी नन्दसिंह आ0 कजोड सिंह जाति राजपूत निवासी बाछोला के नाम [illegible] के तहत अतिक्रमी की कार्यवाही की जा रही है। मुताबित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 2176/850 रकबा [illegible] भगवान सिंह आ0 भंवरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा संख्या [illegible] रकबा 7–00 बीघा भूमि हनुमान सिंह आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 2135/850 रकबा 5–00 बीघा भूमि खानसिंह आ0 कजोड सिंह जाति राजपूत सा. खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा आवंटन की शर्तों की पालना की है। अतः वादी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बाछोला में भूमि खसरा संख्या 850 रकबा 5 बीघा भूमि जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में– खानसिंह का खेत, पश्चिम में– मोहन धाकड का खेत, उत्तर में – सीताराम मीणा का खेत, दक्षिण में– मोहन खाती का खेत है, पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को डिकी पर्चा जारी कर आदेशित किया जाता है आदेशानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner